रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-106/2024/2959/22-2-2023-17(101)/2015
लखनऊ : दिनांक: 27 अगस्त, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.7.2021 तथा शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 एवं 2(छ) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 2023) के अवसर पर जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामजी तिवारी (बन्दी संख्या-97/2018) पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम तिवारी, निवासी ग्राम-चुरिहारी, थाना-मिश्रौलिया वर्तमान-कठेला समयमाता जनपद-सिद्धार्थनगर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-55/1998 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर के आदेश दिनांक 08.08.2000 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश द्वारा दिनांक 26.08.2002 द्वारा निर्णीत करते हुये मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 14-01-2010 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 15-08-2023 तक अपरिहार 25 वर्ष, 13 दिन तथा सपरिहार 31 वर्ष, 08 माह, 25 दिन की सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण अच्छा है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

संख्या-106/2024/2959(1)/22-2-2023 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।
3- पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, सिद्धार्थनगर।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित (क्रिमिनल) सं0- 336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06-09-2022 एवं अवमानना याचिका (सि0) सं0-558/2024 कल्लन व अन्य बनाम राजेश कुमार सिंह व अन्य में पारित आदेश 08-07-2024 एवं दिनांक 19-07-2024 के सन्दर्भ में।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।